बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र06-विविध आ०नि०प्र०-13/05-4350 /खाद्य,पटना,दिनांक 6.12.2007

प्रेषक,

एस0 शिवकुमार,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषयः- जन वितरण प्रणाली दूकानों की अनुज्ञप्ति के निलंबन अवधि के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जन वितरण प्रणाली दूकानों की निलंबित अनुज्ञप्ति संबंधी प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त यह पाया गया है कि जन वितरण प्रणाली दुकानों की अनुज्ञप्ति लंबी अवधि तक निलंबित रखी जाती है । निलंबन अवधि में उक्त दूकान को आवंटित खाद्यान्न एवं किरासन तेल दूसरे जन वितरण प्रणाली की दूकान के साथ समनद्ध कर आवंटित कर दिया जाता है । इस व्यवस्था से सम्बद्ध उभोक्ताओं को कठिनाई होती है एवं आवंटित सामग्रियों की कालाबाजारी की संभावना भी प्रबल हो जाती है । प्राप्त सूचनानुसार आपके जिला में तीन महीने से अधिक अवधि से निलंबित दूकानों की संख्या संलग्न प्रपत्र में अंकित है ।

आप इस तथ्य से भलीभांति अवगत होंगे कि अद्यतन प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 जिसे विभागीय अधिसूचना संख्या 601 दिनांक 15.02.07 द्वारा प्रचालित किया गया है, की कंडिका- 7 (V) में भी यह स्पष्ट प्रावधान है कि "अनुज्ञप्ति निलंबन की अधिकतम अवधि 90 दिनों की होगी । इस बीच अनुज्ञप्ति निलंबन से सम्बान्धित अभिलेख निलंबन की तिथि से एक पक्ष के अंदर जिला स्तरीय चयन समिति को भेजी जायगी ।" चयन समिति द्वारा आवश्यक जांचोपरान्त विक्रेता की अनुज्ञप्ति को निलंबन से मुक्त करने की अनुशंसा अनुज्ञापन पदाधिकारी को दी जायेगी जिसके अनुसार अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई की जायेगी ।"

इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा भी तत्संबंधी मामलों में यह विनिश्चित किया गया है कि अनुज्ञप्ति निलंबन की अवधि 90 दिनों से अधिक नहीं होगी । सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 के कंडिका 7 (III) में निहित प्रावधानों की परिधि में आने वाले मामलों में 90 दिनों से अधिक निलंबन को जारी रखा जा सकता है ।

अतः अनुरोध है कि 90 दिनों से अधिक अवधि से निलंबित जन वितरण प्रणाली दूकानों की अनुज्ञप्तियों के मामले में वस्तुस्थिति की समीक्षा कर विभागीय प्रावधान के अनुरूप अंतिम निर्णय यथाशीघ्र लेना सुनिश्चित किया जाय । इस संबंध में की गई कार्रवाई एवं फलाफल की सूचना एक पक्ष के अन्दर विभाग को उपलब्ध कराया जाय ।

विश्वासभाजन

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक--प06-विविध-13/05-4350/खाद्य,पटना,दिनांक 06.12.2007

प्रतिलिपिः सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।